नशीले पदार्थों की बिक्री से बच्चों को रखें दूर

हरिभूमि न्यूज . नई दिल्ली

बच्चों के अधिकारों को लेकर काम करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य में इस बाबत व्यवस्था को सुनिश्चित करें कि बच्चे तंबाकू या अन्य किसी मादक पदार्थ की बिक्री जैसी गतिविधि में शामिल न हो सके। एनसीपीसीआर के सदस्य यशवंत जैन ने हरिभूमि को बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 और 78 के हिसाब से बच्चों को तंबाकू पदार्थ बेचना और उन्हें तंबाकू या अन्य प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री में शामिल करना दोनों दंडनीय अपराध है।

- **बाल आयोग के मुख्य सचिवों को पत्र**

छत्तीसगढ़ समेत 15 राज्यों से कॉफ्रेंसिंग

एनसीपीसीआर ने छत्तीसगढ़, मध्य-प्रदेश समेत 15 राज्यों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इसमें तंबाकू पदार्थों के अलावा बच्चों से संबंधित जेजे और पोक्सो कानून के क्रियान्वयन को लेकर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।